तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.65/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए
23.9.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) भरत प्रजापत पुत्र बाबुलाल प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– 222, महाकाली नगर, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बी. के. ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हारवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (दो) जवानमल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बी.जे. एण्ड सन्स, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला– पाली के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 (श्री विनीत सचदेवा पुत्र श्री विनोद सचदेवा, R/017, Amritsar Cantt, Amritsar) एवं प्रतिवादी संख्या 4 (श्री वरुण सचदेवा पुत्र श्री विनोद सचदेवा, R/017, Amritsar Cantt, Amritsar), खाद्य कारोबारकर्ता एवं भागीदार, फर्म PARI AGRO EXPORTS, Add-21, PO GIL WALI, SANGRANA SAHIB,TARN TARAN, AMRITSAR अनुपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.12.2020 को फर्म बी. के. ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हारवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी भरत प्रजापत पुत्र बाबुलाल प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– 222, महाकाली नगर, सिरोही, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1323 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1064/Act/2020/39 दिनांक 06.1.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 (भरत प्रजापत) एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः विनीत सचदेवा एवं वरुण सचदेवा को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। जबकि प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या–2 (जवानमल) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या– (जवानमल) की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी जवानमल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी जवानमल की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) का नमूना लेने के संबंध में [illegible] यन आवेदन में वर्णित कार्यवाही प्रतिवादी भरत प्रजापत के [illegible] की गई है एवं न ही ऐसी कोई [illegible] के संस्थान पर निष्पादित की गई तथा न ही प्रतिवादी [illegible] प्रजापत को नमूना क्रय की राशि दी गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.65/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

आवेदन में वर्णित प्रक्रिया नही अपनाई है तथा नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुरुप नही की गई है। आवेदक द्वारा Nabl Accredeted Lab से जांच कराने के संबंध में प्रतिवादीगण को कोई सूचना नही दी है तथा न ही खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादीगण को भिजवाई गई है, इस कारण से प्रतिवादी उक्त खाद्य पदार्थ बासमति चावल (कीचन किंग ब्राण्ड) के नमूने के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उपधारा 4 का उल्लंघन है। आवेदक द्वारा प्रतिवादी भरत प्रजापत के समक्ष नमूना लेने की कार्यवाही सम्पादित नही करने से नमूना लेने की पूरी कार्यवाही संदेहास्पद है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण व अवैध है। यह कि मिथ्याछांप खाद्य पदार्थ बासमति चावल (कीचन किंग ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म जिम्मेदार है, क्योंकि लेबल पर त्रृटि निर्माता फर्म द्वारा की गई है, इसलिये प्रतिवादी जवानमल को लेबल पर हुई त्रृटि के संबंध में दोषी नही ठहराया जा सकता है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। यह कि F.S.S.A.I. द्वारा जारी परिपत्र जो भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारों को प्रेषित किया है उसमें मिथ्याछाप वाले प्रकरणों में संबंधित फर्म को लेबल पर हुई त्रृटि में सुधार का नोटिस दिया जाकर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.12.2020 को समय 11.15 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म बी.के. ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हारवाडा, सिरोही, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से भरत प्रजापत पुत्र बाबुलाल प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– 222, महाकाली नगर, सिरोही, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता प्र[illegible] व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] अन्दर अलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजू[illegible] ब्राण्ड) के 7 सील्ड पैक्ड बै[illegible] पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) के 10 किलोग्राम के एक सील्ड पैक्ड बेग को खोलकर 4 किलोग्राम बासमति चावल [illegible]चन किंग ब्राण्ड) को एक साफ,

........लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:39 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.65/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/– (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) प्रतिवादी भरत प्रजापत को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1323, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता भरत प्रजापत एवं गवाह के समक्ष खरीदशुदा बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) को हिलामिलाकर चार साफ, सूखे एवं खाली जारों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक जार को ढक्कन से से एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना जार पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूना जार के साथ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) का मूल लेबल लगाकर टेप से चिपकाया। चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1323 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.12.2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 15.12.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म बी.के.ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हारवाडा, सिरोही में खाद्य कारोब[illegible] विक्रेता भरत प्रजापत से खाद्य पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत [illegible] क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। [illegible] खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1323 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1064/Act/2020/39 दिनांक

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:39 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

प्रति. जिला कलिक्टर
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.65/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

06.1.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी भरत प्रजापत पुत्र बाबुलाल प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– 222, महाकाली नगर, सिरोही की फर्म बी.के.ट्रेडिंग कम्पन, कुम्हारवाडा, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) के 10–10 किलोग्राम सील्ड पैक्ड बेग जरिये बिल फर्म बी.जे.एण्ड सन्स, मैन बाजार, सुमेरपुर, जिला– सिरोही से क्रय किये थे जो प्रतिवादी जवानमल की फर्म है। प्रतिवादी जवानमल की फर्म बी.जे.एण्ड सन्स, मैन बाजार, सुमेरपुर, जिला– पाली द्वारा खाद्य पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) के 10–10 किलोग्राम के पैक्ड बैग जरिये बिल फर्म PARI AGRO EXPORTS, Add-21, PO GIL WALI, SANGRANA SAHIB,TARN TARAN, AMRITSAR से क्रय किये गये थे, जो प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की भागीदारी की फर्म है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) की निर्माता फर्म PARI AGRO EXPORTS, Add-21, PO GIL WALI, SANGRANA SAHIB,TARN TARAN, AMRITSAR है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी भरत प्रजापत पुत्र बाबुलाल प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– 222, महाकाली नगर, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बी. के. ट्रेडिंग कम्पनी, कुम्हारवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी जवानमल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बी.जे. एण्ड सन्स, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है तथा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ बासमति चावल (किचन किंग ब्राण्ड) के पैकिंग एवं विक्रय हेतु फर्म PARI AGRO EXPORTS, Add-21, PO GIL WALI, SANGRANA SAHIB,TARN TARAN, AMRITSAR पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को तथा

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:39 IST
Reason: SelfAttested

प्राव. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.65/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए
	निर्माता फर्म PARI AGRO EXPORTS के भागीदार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को आदेशित किया जाता है कि उन पर/निर्माता फर्म पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 28.10.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:39 IST
Reason: SelfAttested